बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–FC/148/2020-861

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 26/09/2022

विषय– श्रीमती चन्दन कुमारी द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत निर्मली मौजा के खाता संख्या–130(क), प्लॉट संख्या–1446(पु.), 359, 363(नया), प्रखंड–निर्मली में भुतहा–निर्मली–मरौना पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.05325 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/50279/ 2020/230, दिनांक 20.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 09.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है–

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 20.04.2022 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.**	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू० 7,71,390.00 (रू० सात लाख इकहत्तर हजार तीन सौ नब्बे) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506219950279262, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 07.09.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. CBINH22250061388 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.05325 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.05325 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 51,002/– (इक्यावन हजार दो रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 150621950279262, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 07.09.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. CBINH22250061388 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 07.09.2022 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्त्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B:	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:**	
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall be identified by the State	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	Thirty two trees should be translocated by the User agency at their own cost with using modern technology under the strict supervision of the concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
10	Any other conditions that the Ministry of Environment, ...	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage– I) में अधिरोपित सभी शर्त्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.05325 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/148/2020-861 दिनांक– 26/09/2022

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ /वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल एवं श्रीमती चन्दन कुमारी, पति–श्री गौतम कुमार नागमणि, वार्ड संख्या–08, निर्मली, जिला–सुपौल, पिन–847452 को सूचना हेतु प्रेषित।

26/9/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Supaul/ Supaul Forest Division, Supaul.
3	Name of User Agency nature of proposal	Smt. Chandan Kumari/IOCL Retail Outlet
4	Extent of forest area involved	0.05325 Ha.
5	Whether Original, or extension	Original
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-
7	Date of 1st stage Clearance	20.04.2022
8	**Extent of CAMPA charges head wise viz.**	
	a.Compensatory Afforestation	7,71,390.00
	b. Additional CA	-NA-
	C. Penal CA	-NA-
	d. Catchment Area Treatment	-NA-
	e. Wildlife Management Plan	-NA-
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-
	g. Net present Value	51,002.00
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	(see table below)
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, New Delhi on dt. 07.09.2022
12	Any other remarks	

S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
1	e-challan	CBINH22250061388 dt. 07.09.2022	51,002/-	NPV
2			7,71,390/-	CA
		Total-	**8,22,392/-**	

26/9/22

(Arvinder Singh)
Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

Email-apccfcampa.bih@gmail.com;

मो० 8986153125

प्रादि संख्या 943
दिनांक 14/09/2022
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

(53)

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक– 09/09/22

विषय– श्रीमती चन्दन कुमारी द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत निर्मली मौजा के खाता संख्या–130(क), प्लॉट संख्या–1446(पु.), 359, 363(नया), प्रखंड–निर्मली में भुतहा–निर्मली–मरौना पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.05325 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक 392, दिनांक 09.05.2022,

Acf
13/09

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक–FP/BR/Others/50279/ 2020/230, दिनांक 20.04.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1–6 शर्त एवं B में 1–10 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रही हूँ–

भाग–A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 7,71,390.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219950279262, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 07.09.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINH22250061388 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.05325 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 51,002/– को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219950279262, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 07.09.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINH22250061388 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 07.09.2022 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का Compliance report, Ministry ds Website-http://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

52

भाग–B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं करूगी।
2. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

a. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

b. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

c. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

d. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

6. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

9\. (a) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(b) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(c) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

10\. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन,

चन्दन कुमारी

(चन्दन कुमारी)

पति–श्री गौतम कुमार नागमणि,

वार्ड संख्या–08, निर्मली, जिला–सुपौल,

पिन–847452

(51)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-09-2022

Agency Name.	CHANDAN KUMARI
Application No.	19950279262
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/50279/2020
Location.	BIHAR
Address.	W/o-Shri Gautam Kumar Nagmani, Ward No.-8, NirmaliSupaul
Amount(in Rs)	822392/-

Amount in Words :Eight Lakh Twenty-Two Thousand Three Hundred and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506219950279262 challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies r
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

After making the required payment through cl
even after 7 working days, then kindly mail a copy
Email: cb0371@unionbankofindia.com

UBINH 2225R061388

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिला-सुपौल निर्मली-शाखा

forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OTH

ी, सु
FRA
एवं
ा नि
या....
ा है
गूस
ल अ
ा /
हेतु
2
र्यां
के
बंधि
न्य
क
1
उ

(50) ~~150~~

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, सुपौल के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA, 2006 का प्रमाण–पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण,) वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 388 दिनांक 17/05/2022

प्रमाणित किया जाता है कि **सुपौल** जिले में प्रयोक्ता एजेंसी **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि0प्र0) बेगूसराय मंडल कार्यालय पोस्ट–बरौनी ऑयल रिफाईनरी जिला–बेगूसराय (बिहार) द्वारा रिटेल आउटलेट** रैखिक परियोजना निर्माण स्थान **निर्मली वार्ड नं0. 12 मौजा– निर्मली** पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के **0.05325 हे0** रकबा के अपयोजन (Diverson) हेतु **प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली के पत्रांक–144 –1 दिनांक 29.03.2022** द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र निर्गत करने संबंधी अधिसूचना संख्या–190E दिनांक 16-02-1994 के अनुसार FRA, 2006 को प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका–1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2015 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं हैं।

स्थाना – सुपौल।
तिथि –

ह0
जिला पदाधिकारी,
सुपौल।

OR

Certified That Forest Land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest'' less than 75 years prior to the 13th day of December 2015 and is located in villages having no recorded populations of Scheduled Tribes.

Place: Supaul
Date:

Vol
17/05/22
जिला पदाधिकारी,
सुपौल।

Letter/sagir/-562

(79)

Form-1

(For Linear Project)

Government of Bihar

Office of the District Collector Supaul

****

No. 387 Dated 17/05/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No. 11-19/98 EC(Pt) Dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued Guidelines on submission to evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA', for Short) on the Forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's latter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that 0.05325 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Indian Oil Corporation Limited Barauni (Name of user Agency) for Retail Outlet (proposed for diversion of forest land) in Supaul District falls within jurisdiction of Nirmali village(s) in Nirmali tehsils.

It is Further Certified that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire. 0.05325 hectares of forest area Proposed for diversion. A copy of records of consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level-Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as Required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal doe's not involve recognized rights of Primitive tribal groups and pre agricultural communities.

Encl. : As above

17/5/22

District Magistrate

Supaul

...शल कुमार, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी सुपौल के अध्यक्षता में (रैखिक परियोजना निर्माण हेतु) दिनांक 05.05.2022 को अनुमंडल पदाधिकारी निर्मली /वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल की संयुक्त बैठक में(**FRA 2006**) के तहत् विमर्श उपरांत लिये गये निर्णय की कार्यवाही:— ७५

दिनांक 05.05.2022 को जिलाधिकारी सुपौल की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल की संयुक्त बैठक में विमर्श उपरांत लिये गये निर्णय निम्नरुपेण हैं :—

प्रस्ताव संख्या—01. अनुमंडल पदाधिकारी निर्मली के पत्रांक 144—1 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया गया कि मौजा—निर्मली ,अंचल— निर्मली में प्रयोक्ता एजेंसी मेसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट निर्माण के लिए निर्मली वार्ड न0 12 में अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के **0.05325 हेक्टेयर** रकवा के अपयोजन **(DIVERSION)** हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर जॉचोपरान्त पाया गया कि प्रस्तावित योजना के लिए अपयोजित होने वाली भूमि जिसे राज्य सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की **अधिसूचना सं0 190E दिनांक 16.02.1994** से सुरक्षित वन **(PROTECTED FOREST)** घोषित किया गया है, परन्तु उस पर किसी तरह की अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (O T F D) की आबादी नहीं है।

प्रस्ताव संख्या—02. अनुमंडल पदाधिकारी निर्मली के 144—1 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा मौजा—हरियाही ,अंचल— निर्मली में प्रयोक्ता एजेंसी मेसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट निर्माण के लिए निर्मली वार्ड न0 12 में अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के **0.028559 हेक्टेयर** रकवा के अपयोजन **(DIVERSION)** हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर जॉचोपरान्त पाया गया कि प्रस्तावित योजना के लिए अपयोजित होने वाली भूमि जिसे राज्य सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की **अधिसूचना सं0 921E दिनांक 28.08.1997** से सुरक्षित वन **(PROTECTED FOREST)** घोषित किया गया है, परन्तु उस पर वर्त्तमान में किसी तरह की अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (O T F D) की आबादी नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी निर्मली के पत्रांक 144—1 दिनांक 29.03.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दोनों रिटेल आउटलेट वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं मानते हुए अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।

Arbind Kumar
..05/22

Scanned with CamScanner

जिला पदाधिकारी,
सुपौल।

ज्ञापांक 363 /दिनांक 5/8/2022

प्रतिलिपि :— सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
सुपौल।

72

बिहार सरकार

संजय कुमार सिंह, वि०प्र०से०
अनुमंडल पदाधिकारी,
निर्मली।

बिहार सरकार

अनुमंडल कार्यालय, निर्मली
निर्मली—847452

(स्थापना शाखा)

Ph :- 06277 – 295310
Mob :- 9473191350
E-mail:- sdmnml.spl@gmail.com

पत्रांक 163-1/ स्था०

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सुपौल।

निर्मली दिनांक 02-4-/2022

विषय :— सुपौल जिला अन्तर्गत मौजा हरियाही एवं नगर पंचायत निर्मली वार्ड नं0—12 में रीटेल आउटलेट खोलने से संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग :— आपका पत्रांक 724—2 दिनांक 5.9.2020 एवं 162—2 दिनांक 22..02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में मौजा हरियाही एवं नगर पंचायत निर्मली वार्ड नं0—12 में रीटेल आउटलेट खोलने हेतु आज दिनांक 29.04.2022 को आयोजित बैठक की कार्यवाही इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

विश्वासभाजन

02/04/22

अनुमंडल पदाधिकारी
निर्मली।

D:\Jiwan\S. Sir\DO Letter\Do VAN.Docx

Scanned with CamScanner

संजय कुमार सिंह, बि0प्र0से0 अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली की अध्यक्षता में दिनांक 29.03.2022 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अनुमंडलीय स्तरीय वनाधिकार समिति का प्रखंड विकास पदाधिकारी, निर्मली का पत्रांक 266 दिनांक 16.04.2021 एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत निर्मली का पत्रांक 312–1 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा प्राप्त कार्यवाही वृत के आलोक में बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– बैठक पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रस्ताव संख्या :– 01

अपर मुख्य वन संरक्षण कैम्प –सह– नोडल पदाधिकारी, संरक्षण बिहार पटना के पत्रांक 1144 दिनांक 06.11.2017 तथा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) की अधिनियम 2006 संशोधित की जानकारी सभी सदस्यों को दी गई।

प्रस्ताव संख्या :– 02

जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक 60–2 दिनांक 25.11.2021 एवं पत्रांक 162–2 दिनांक 22.02.2022 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 214–2 दिनांक 25.02.2021 एवं 151–2 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा रीटेल आउटलेट खोलने के संदर्भगत प्रखंड विकास पदाधिकारी, निर्मली एवं नगर पंचायत निर्मली से बैठक कर प्रस्ताव की मांग की गई थी।

प्रस्ताव संख्या :– 03

ग्राम पंचायत हरियाही द्वारा दिनांक 16.04.2021 को आयोजित ग्राम सभा एवं नगर पंचायत, निर्मली द्वारा दिनांक 08.03.2022 को आयोजित विशेष आम सभा की कार्यवाही को पटल पर रखा गया।

प्रस्ताव संख्या :– 04

सुपौल जिला अन्तर्गत प्रखंड निर्मली के मौजा हरियाही एंव मौजा निर्मली के वार्ड नं0–12 अंतर्गत रीटेल आउटलेख खोलने के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति से संबंधित आयोजित होने वाले वन भूमि के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

प्रस्ताव संख्या :– 05

ग्राम पंचायत हरियाही एवं नगर पंचायत निर्मली द्वारा विशेष आम सभा की कार्रवाई की गई। पारित प्रस्ताव में उल्लेखित किया गया है कि उक्त पंचायत एवं नगर

Scanned with CamScanner

पंचायत अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की आवादी नहीं है के आलोक में अनुमंडल वन अधिकार समिति द्वारा सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि उक्त पंचायत एवं नगर पंचायत में रीटेल आउटलेख खोलने में अनुसूचित जनजाति के अधिकार का हनन नहीं होता है।

अतः वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफ0आर0ए0) के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी सुपौल को अनुशंसा करने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/-
अनुमंडल पदाधिकारी,
निर्मली।

ज्ञापांक 144 निर्मली / दिनांक 29.3. / 2022

प्रतिलिपि– सभी संबंधितो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, निर्मली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, निर्मली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला जिलाधिकारी, सुपौल के सेवा में सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

29/03/22

अनुमंडल पदाधिकारी,
निर्मली।

Scanned with CamScanner

आज दिनांक - 29-03-2022 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली के अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति का प्रखंड विकास पदाधिकारी-निर्मली का पत्रांक-266 दिनांक-16-04-2020-21 एवं कार्यपालक पदाधिकारी निर्मली का पत्रांक-312-1 दिनांक-08-03-22 के द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में आज वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई है जिसमें निम्नांकित पदाधिकारीगण एवं सदस्यगणों की उपस्थिति अंकित है:—

29/03/22
अध्यक्ष
अनुमंडल वनाधिकार समिति
-सह-
अनुमंडल पदाधिकारी-निर्मली

01. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी-निर्मली :— 29/3/22
सचिव

02. सदस्य, सहायक वन संरक्षी पदा० - निर्मली :— 29.3.22

03. श्री मति सुनिता देवी :— सुनिता देवी
जिला पार्षद सदस्य - निर्मली

04. श्री मति रंजु देवी, वार्ड सदस्य :— राजोदेवी
वार्ड न० - 08 - हरिमाही

05. श्री मति मीरा आनंद देवी, वार्ड सदस्य :— मीरा कुमारी आनंद
वार्ड न० - 12 नगर पंचायत - निर्मली

प्रस्ताव सं०-01
अपर मुख्य वन संरक्षण कैम्प - सह - नोडल पदाधिकारी, संरक्षण ... पटना के पत्रांक 1154 दिनांक 06.11.2017 तथा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) की अधिनियम 2006 संशोधित ... जानकारी सभी सदस्यों को दी गई।

प्रस्ताव सं०-02
जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक-60-2 दिनांक 25.11.202...

पत्रांक 162-2 दिनांक 22.02.2021 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-
274-2 दिनांक 25.02.2021 एवं 151-2 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा रीटेल
आउटलेट खोलने के संदर्भगत प्रखंड विकास पदाधिकारी, निर्मली एवं नगर
पंचायत निर्मली से बैठक हेतु प्रस्ताव की माँग की गई थी।

प्रस्ताव सं०:- 03

ग्राम पंचायत हरियाही द्वारा दिनांक 16.04.2021 को आयोजित ग्राम सभा
नगर पंचायत, निर्मली द्वारा दिनांक 08.03.2022 को आयोजित विशेष आम सभा
की कार्यवाही को पटल पर रखा गया।

प्रस्ताव सं०:- 04

सुपौल जिला अन्तर्गत प्रखंड निर्मली के मौजा हरियाही एवं मौजा निर्मली
के वार्ड नं०-12 अंतर्गत रीटेल आउटलेट्स खोलने के संदर्भ में अनुसूचित जन
जाति से संबंधित आयोजित होने वाले वन भूमि के संबंध में विचार विमर्श किया

प्रस्ताव सं०:- 05

ग्राम पंचायत हरियाही एवं नगर पंचायत निर्मली द्वारा विशेष आम सभा
की कार्रवाई की गई। पारित प्रस्ताव में उल्लेखित किया गया है कि उक्त पंचायत
एवं नगर पंचायत अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है, के आ
में अनुमंडल वन अधिकार समिति द्वारा सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है
कि उक्त पंचायत एवं नगर पंचायत में रीटेल आउटलेट्स खोलने में अनुसूचि
जनजाति के अधिकार का हनन नहीं होता है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफ०आर०ए०) के तहत
प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी सुपौल को अनुशंसा करने की सर्व
सम्मति से निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई

अध्यक्ष
अनुमंडल वनाधिकार समिति
सह
अनुमंडल पदाधिकारी निर्मली

Scanned with CamScanner

①

विशेष आम सभा

आज दिनांक 03/03/2022 को नगर पंचायत निर्मली कार्यालय में श्रीमती नितु कुमारी मुख्यपार्षद नगर पंचायत निर्मली की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारी निर्मली के पत्रांक - 152-2, दिनांक - 24/02/2022 के आलोक में अनुसूचित जन जाति के परिवार नगर पंचायत निर्मली में निवास करने से संबंधित एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नांकित नगरवासी एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए।

उपस्थित नगरवासी का हस्ताक्षर

Nitu Kumari
अध्यक्ष
मुख्य पार्षद
मुख्य पार्षद नगर पंचायत,निर्मली
नगर पंचायत निर्मली
3/3/2022

1. सुभाष कुमार
2. दीपकमल झा
3. चन्द्र शेखर कामत
4. जूली कुमारी
5. सीनी कुमारी
6. राजविन्द विश्वास
7. विरोश्वर शर्मा
8. सुशील कुमार साहु
9. जितेन्द्र कुमार
10. बासुकी झा
11. सत्येन्द्र कुमार धा?

Shar
03-03-2022
अनुमंडल पदाधिकारी
निर्मली (सुपौल)

(13)

(12) Sandeep Kumar

(13) राजेन्द्र प्रसाद

(14) Rahul Kumar.

(15) Babita Kumari

(16) [illegible] कुमार

(17) [illegible] कुमार साह

(18) Prem Kumar

19. Mithilesh Kumar

20. [illegible] कुमार

(21) [illegible]

22 [illegible]

23 [illegible]

24 [illegible] ठाकुर

(25) [illegible]

प्रस्ताव संख्या (1) :- सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदया के द्वारा विशेष आम सभा में भाग लेने वाले सभी नगरवासी एवं प्रतिनिधिगण को स्वागत किया गया।

प्रस्ताव संख्या (2) :- माननीय वार्डपार्षद मो० गुड्डू एवं श्री सजल कुमार के द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत निर्मली क्षेत्रान्तर्गत एक भी अनुसुचित जन जाति के परिवार नहीं रहते है।

प्रस्ताव संख्या (3) :- अंत में धन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

वार्ड पार्षद
वार्ड नं०-
नगर पंचायत
(सुपौल) मो० गुड्डू
वार्ड नं०- 10
नगर पंचायत निर्मली

Nikki [illegible]
अध्यक्ष
मुख्यपार्षद
नगर पंचायत निर्मली

पीठासीन पदाधिकारी के आदेशानुसार बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

प्रस्ताव संख्या–01 नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की आबादी पर विचार।

इस संबंध में माननीय वार्ड पार्षद, मो0 भुट्टो श्री संजय कुमार द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत, निर्मली क्षेत्रान्तर्गत एक भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नहीं है। जिसे उपस्थित पार्षदों द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–02 योजना चयन पर विचार।

उपस्थित पार्षदों द्वारा निम्न विवरणी अनुसार योजना का चयन किया गया है, जो इस प्रकार है:–

क्र0 सं0	योजना का नाम
1	वार्ड न0–07 में रविन्द्र राम घर से चुलहाई कामत घर तक पीसीसी सडक निर्माण कार्य।
2	वार्ड न0–07 में केलू मुखिया घर से परमेश्वर मुखिया घर तक पेभर सडक निर्माण कार्य।
3	वार्ड न0–11 में घनश्याम महतो के दुकान से सियाराम साह के घर तक पेभर सड़क एवं आरसीसी नाला निर्माण कार्य।
4	वार्ड न0–12 में मछली हाट के पास एक पुलिया एवं पीसीसी सडक निर्माण कार्य तथा भोला बाबा मंदिर के पास पुलिया निर्माण कार्य।
5	वार्ड न0–01 में बेचन पासवान घर से ललन पासवान पासवान घर तक ढक्कण सहित नाला निर्माण कार्य।
6	वार्ड न0–02 में विजय यादव घर से बद्री नारायण शर्मा घर होते हुए सहदेव साह घर तक आरसीसी नाला ढक्कण सहित नाला निर्माण कार्य।
7	वार्ड न0–04 में श्री अशर्फी साह के घर से श्री रामजी राम के घर तक ढक्कण सहित आरसीसी नाला निर्माण कार्य।
8	वार्ड न0–05 में श्री शिवामंडल के घर के पीछे होते हुए श्री चलित्तर साह के दूकान तक नाला ढक्कण सहित निर्माण कार्य।
9	वार्ड न0–05 में सावित्री देवी के घर से कैलास महतो घर तक आरसीसी नाला ढक्कण सहित निर्माण कार्य।
10	वार्ड न0–06 में श्री हरि नारायण मंडल शिक्षक के घर से श्री सीताराम के घर तक पेभर सड़क का निर्माण एवं आरसीसी नाला ढक्कण सहित निर्माण कार्य।
11	वार्ड न0–06 में घुटर पासवान के घर से श्रीमती चानो धनकार के घर तक पेभर सडक एवं नाला पर ढक्कण निर्माण कार्य।
12	वार्ड न0–11 में मामाजी गली में रवि प्रकाश स्वर्णकार के गुदाम से होते हुए श्री बाबूलाल सुराना के जमीन तक आरसीसी नाला ढक्कण सहित निर्माण कार्य।
13	वार्ड न0–03 में कन्या मध्य विद्यालय के पास तीन शीट का शौचालय एवं मुत्रालय निर्माण कार्य।
14	वार्ड न0–10 में डब्बू पंसारी के घर से स्व0 हरि प्रसाद साह पूर्व मंत्री के घर से होते हुए दिनेश साह (बाबा) के दुकान तक पीसीसी सडक निर्माण एवं सत्तो शर्मा के घर से स्व0 विश्वनाथ साह के घर तक ढक्कण सहित नाला निर्माण कार्य।
15	वार्ड न0–06 एवं 07 मे पचिश्मी रिंग बांध से हिरो होण्डा शोरूम तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य।
16	वार्ड न0–02 में संजय सदाय के घर से शिव नारायण साह के घर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।
17	वार्ड न0–06 प्रो0 हनुमान शर्मा के घर से राजेन्द्र सिंह घर तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य।
18	वार्ड न0–12 में मास्टर के घर से तिलयुगा नदी तक आरसीसी नाला ढक्कण सहित निर्माण कार्य।
19	वार्ड न0–12 में शमसान घाट में गेट एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।
20	वार्ड न0–06 में दिनेाद साह के घर से बबलु वर्मा के घर तक ढक्कण सहित नाला निर्माण एवं पुलिया निर्माण कार्य।
21	वार्ड न0–01 में विधिक संघ निर्मली परिसर में तीन सीटों वाला शौचालय के साथ एक मुत्रालय, पानी मोटर, टंकी, बिजली के साथ निर्माण कार्य।
22	वार्ड न0–11 श्री राम कथा मार्ग में श्री विजय साह के जमीन से होते हुए श्री गौरीशंकर पंजियार के घर तक पेभर ब्लॉक सड़क एवं आरसीसी नाला ढक्कण सहित निर्माण कार्य।
23	वार्ड न0–06 में श्री उमेश नायक के घर से श्रीमती खुशी देवी घर तक एवं श्री राजदेव प्रसाद यादव (शिक्षक) के घर तक पेभर सड़क निर्माण कार्य।
24	वार्ड न0–12 में उमेश राम के घर से अखिलेश कुमार प्रभाकर के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य।
25	वार्ड न0–12 में जनक साह के घर से आनंद सिंह के घर के आगे बांध तक पेभर सड़क निर्माण कार्य।
26	वार्ड न0–12 में उमेश नायक के दुकान के आगे से बमबम मंडल घर होते हुए प्रकाश पान दुकान तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।

27	वार्ड नं0–05 में अक्षय लाल मंडल के घर से पुलिया होते हुए बाबाजी साह के घर तक नाला ढक्कण सहित निर्माण कार्य।

माननीय पार्षदों द्वारा बताया गया कि उक्त कुल 26 योजनाओं का कार्यान्वयन स्टाम्प शुल्क से प्राप्त राशि से किया जाएगा। उक्त सभी योजनाओं का प्राक्कलन बनाने हेतु कनीय अभियंता, नगर पंचायत, निर्मली को पत्र निर्गत करने की स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या–03 संविदा कर्मियों का समय अवधि विस्तार पर विचार।

इस संबंध में माननीय वार्ड पार्षद श्रीमती मीरा कुमारी आनंद, मो0 भुट्टु एवं श्री संजय कुमार द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत, निर्मली कार्यालय में जो भी संविदा कर्मी कार्यरत है। उनका सेवा अवधि 05 (पांच) वर्षों के लिए विस्तार किया जाय। जिस पर उपस्थित पार्षदों द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–04 वार्ड नं0–11 में भगत सिंह स्मारक एवं वार्ड नं0–12 नवटोली के ब्रहमबाबा एवं गोसाई मंडल के घर मुंगालाल मंडल के घर तक ईट सोलिंग सड़क के भुगतान पर विचार।

इस संबंध में माननीय वार्ड पार्षद मो0 भुट्टु एवं श्री संजय कुमार द्वारा बताया गया कि वार्ड नं0–11 में भगत सिंह स्मारक एवं वार्ड नं0–12 नवटोली के ब्रहमबाबा एवं गोसाई मंडल के घर मुंगालाल मंडल के घर तक ईट सोलिंग सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। उक्त योजना का एकरारनामा 14वीं वित्त मद से की गई थी। परंतु उक्त मद में राशि उपलब्ध नहीं है एवं विभाग द्वारा उक्त मद को बंद कर दिया गया है। जिस कारण संबंधित संवेदक को भुगतान नहीं किया जा सका है। इस पर उपस्थित पार्षदों द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों योजनाओं का भुगतान स्टाम्प शुल्क में प्राप्त राशि से अधिकृत संवेदक को भुगतान किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–05 टाईम एक्सटेन्शन की गई कटौती राशि भुगतान के संबंध पर विचार।

इस संबंध में माननीय वार्ड पार्षद श्रीमती मीरा कुमारी आनंद, मो0 भुट्टु एवं श्री संजय कुमार द्वारा बताया गया कि कोविड–19 काल में लेवर एवं मिस्त्री तथा मेटेरियल नहीं मिलने के कारण योजना कार्य में विलम्ब हुआ है। जिस कारण संवेदक द्वारा समर्पित मापीपुस्त की राशि में 10 प्रतिशत की राशि की कटौती कर संवेदक को भुगतान किया गया है। काटी गई राशि को संवेदक द्वारा भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। जिस पर उपस्थित पार्षदों द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर पंचायत, निर्मली में जो भी योजना में 10 प्रतिशत की राशि कटौती की गई है यदि छः माह पूर्ण गया है, तो कटौती की गई राशि संबंधित संवेदक को भुगतान किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–06 अन्नयान पर विचार।

1. श्रीमती चिन्ता देवी, वार्ड पार्षद द्वारा बताया गया कि टैक्स दरोगा के पद पर श्री किशोर कुमार राय को रखा जाय।
2. श्री संजय कुमार, वार्ड पार्षद द्वारा बताया गया कि वार्ड नं0–09 में सामुदायिक शौचालय का मरम्मति कार्य एवं चापाकल का मरम्मति कार्य कराया जाय।
3. श्रीमती मीरा कुमारी आनंद एवं मो0 भुट्टो, वार्ड पार्षद द्वारा बताया गया कि श्री मुकेश कुमार राउत को संविदा पर (सफाई कर्मी) में बहाल किया जाय।

4. श्रीमती मीरा कुमारी आनंद, वार्ड पार्षद द्वारा बताया गया कि श्री महेश राउत को संविदा पर (सफाई कर्मी) में बहाल किया जाय।
5. श्रीमती सावित्री देवी, उपमुख्य पार्षद, द्वारा बताया गया कि वार्ड नं0–07 में प्रमोद राम घर के पास वर्त्तमान में पीसीसी सड़क एवं पुलिया पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त होकर टुट गया है। जिसे जनहित को देखते हुए इसका मरम्मति किया जाय।
6. श्रीमती सावित्री देवी, उपमुख्य पार्षद, द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत, निर्मली क्षेत्रान्तर्गत सभी वार्ड में (जन वितरण प्रणाली) के दुकानदारों द्वारा अरवा चावल वितरण किया जाता है, जो खाने लायक नहीं रहता है। जिसके लिए श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली एवं जिलाधिकारी, सुपौल को लिखित शिकायत हेतु सर्व सम्मति से प्रदान की जाती है।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Nitu Kumari
(श्रीमती नीतु कुमारी)
पीठासीन पदाधिकारी
–सह–
मुख्य पार्षद,
नगर पंचायत, निर्मली।

ज्ञापांक 299-1 / निर्मली, दिनांक 03/03 /2022

प्रतिलिपिः– संबंधित कर्मी, नगर पंचायत, निर्मली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– माननीय वार्ड पार्षदगण, नगर पंचायत, निर्मली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Sd/- 03-03-2022
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, निर्मली।

Sd/- 08-03-2022
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत निर्मली (सुपौल)